न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 456/2019

रामनिवास पुत्र रामजीलाल जाति अहीर, निवासीः ग्राम कांसली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रतिराम यादव पुत्र स्व. श्री प्रहलाद चन्द यादव जाति अहीर, निवासीः ग्राम कांसली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. सेडूराम पुत्र स्व. श्री सुल्तान
3. चौथमल पुत्र मूलचन्द
4. रामकिशोर पुत्र प्रेमसुख
5. दयाराम पुत्र गोरधन
6. कृष्ण पुत्र हरीराम
7. महेश पुत्र हरीराम
8. शिव कुमार पुत्र तेजा
9. शिम्भू पुत्र तेजा
10. शिवराम पुत्र तेजा

समस्त जाति अहीर, निवासीः ग्राम कांसली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली, जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक कोटपूतली, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 13.08.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 18/2017 उनवानी रतिराम बनाम सेडूराम व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री गोगराज चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री संजय यादव एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः 09.11.2020

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट्स की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 18/2017 बउनवानी रतिराम बनाम सेडूराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2019 के विरूद्व धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए बाबत रास्ता इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नंबर 885/0.85 वाकै मौजा फतेहपुरा तहसील कोटपूतली स्थित है जिसका प्रार्थी संपूर्ण हिस्से का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज मालिक है। खसरा नंबर 886 काश्त सिंचाई कुवा में बोरिग बना रखी है विद्युत कनेक्शन ले रखा है जिससे प्रार्थी सिंचाई करता है एवं रिहायशी मकान भी आराजी में बना रखे है जिसमे खेती काश्त करने के साथ साथ रिहायश व पशु वगैराह रखता है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि में आने जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता कटा हुआ मौजूद नहीं है प्रार्थी अपनी खेती की भूमि उपरोक्त आराजी हाल खसरा नंबर 885/0.85 वाकै मौजा फतेहपुरा तहसील कोटपूतली में आने जाने के लिये रास्ता आराजी खसरा नंबर 249/1.60 वाकै मौजा कांसली जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 है, में से होता हुआ आराजी खसरा नंबर 832/0.48, 833/1.20 जो वाकै मौजा फतेहपुरा की भूमि है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 है, में जाता है जो प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 885 तक पहुंचता है। रास्ते की आवश्यकता है मौजूदा में आराजी खसरा नंबर 249 वाके मौजा कांसली में नक्शो ट्रेस में रास्ता रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं दर्शा रखा है ना ही बटा नंबर नहीं डाले हुये है व जमाबंदी में इन्द्राज रास्ते का नहीं है परन्तु 12 फुट में अधिक रास्ता मौके पर मौजूद है उसके बाद यह खसरा नंबर 249 जिसमे उपरोक्त रास्ता है वह खसरा नंबर 832 व 833 स्थित वाकै मौजा फतेहपुरा की भूमि से जुडा हुआ है व यही रास्ता आगे 249 से खसरा नंबर 832 व 833 से खेत 885 तक जाता है। प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिये रास्ते के मध्य में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की कृषि भूमि खसरा नंबर 249/1.60 वाकै मौजा कांसली तथा आराजी खसरा नंबर 832/0.48, 833/1.20 वाकै मौजा फतेहपुरा की भूमि है जिसमे 12 फुट चौडे रास्ते के बिना प्रार्थी के खेतो में आना कतई संभव नहीं है प्रस्तावित रास्ते की भूमि को संलग्न नक्श में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थी की आराजी में आने जाने के रास्ते के मध्य में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की कृषि भूमि खसरा नंबर 249/1.60 वाकै मौजा कांसली तथा आराजी खसरा नंबर 832/0.48, 833/1.20 वाकै मौजा फतेहपुरा की भूमि है जिसमे 12 फुट चौडे रास्ता दिये जाने हेतु प्रार्थी ने अनेको बार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को कहा परन्तु अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 885 वाकै मौजा फतेहपुरा में आने जाने के लिये वर्तमान में आराजी खसरा नंबर 249/1.60 वाकै मौजा कांसली तथा आराजी खसरा नंबर 832/0.48, 833/1.20 वाकै मौजा फतेहपुरा से प्रार्थी आ जा रहा है जिसे संलग्न नजरी नक्शे में बरंग सुर्ख से दिखाया गया है तथा प्रार्थी अपने खेतो की सिंचाई के लिये सामान वगैरा व फसल होने पर फसल वगैरा उक्त बरंग सुर्ख रास्ते से लाने ले जाने हेतु सख्त आवश्यकता है लेकिन अप्रार्थीगण स्वयं उक्त बरंग सुर्ख रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है लेकिन प्रार्थी को उपयोग उपभोग करने में मजाहमत पैदा करते है बरंग सुर्ख रास्ते में आने में मजाहमत पैदा करते है जबकि बरंग सुर्ख रास्ता जो आराजी खसरा नंबर 249 वाकै मौजा कांसली में है वह नक्शा ट्रेस में नहीं कटा हुआ है परन्तु मौके पर मौजूद है। प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने के रास्ते के मध्य में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की कृषि भूमि खसरा नंबर 249/1.60 वाकै मौजा कांसली तथा आराजी खसरा नंबर 832/0.48, 833/1.20 वाकै मौजा फतेहपुरा से प्रार्थी आ जा रहा है जिसे संलग्न नक्शे में बरंग सुर्ख से दिखाया गया है, की भूमि है जिसमे 12 फुट चौडे रास्ते के बिना प्रार्थी के खेतो में आना कतई संभव नहीं है, प्रस्तावित रास्ते की भूमि को संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, को दिये जाने की सूरत में प्रार्थी इस हेतु उचित नियमानुसार राशि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को आद करने हेतु तैयार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली
जयपुर

लगायत 10 प्रार्थी को रास्ता देने से साफ इंकार कर रहे है एवं प्रार्थी के पास उपरोक्त आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई सुगम रास्ता उपलब्ध नहीं है। अंत में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाया जावे एवं राजस्व मानचित्र में अंकन किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 13.08.2019 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के प्रावधान अनुसार कम देरी एवं सुविधाजनक रास्ता दिये जाने का प्रावधान है एवं वैकल्पिक रास्ता होने की दशा में रास्ता नहीं दिया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध था एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नंबर 885 व 886 के लगवा ही भूमि खसरा नंबर 887, 888 एवं 889, 890 के मध्य भी रास्ता है जो केवल 70 मीटा का ही पडता है तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त रास्ते से आवागमन करता है जिससे उक्त रास्ता भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को उपलब्ध करवाया जा सकता था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान न देकर जो रास्ता दिया है उसकी दूरी 400 मीटर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर प्रकरण के समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही निर्णय दिनांक 13.08.2019 के माध्यम से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत रूप से स्वीकार किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.08.2019 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वहां मौके पर पूर्व में ही पगडंडीनुमा कच्चा रास्ता बना हुआ है एवं यही पहुंच हेतु सुगम रास्ता है। रेस्पोडेन्ट के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है जो तहसीलदार की रिपोर्ट से सावित है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ते हेतु मुआवजा संबंधी राशि पक्षकार को दे दी गई है। अपीलान्ट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को परेशान करने की नियत एवं न्यायालय का अमूल्य समय व्यर्थ करने के उद्देश्य से यह आधारहीन तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन एवं काश्त करने हेतु रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.08.2019 के माध्यम से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी की भूमि में से 12 फीट चौडा रास्ता प्रदान कर रास्ते हेतु प्रदत्त भूमि की डी.एल.सी. की दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को दिये जाने का आदेश पारित किया गया। राजस्व जमाबंदी व नक्शा शीट के अवलोकन पश्चात् पाया गया कि आराजी खसरा नंबर 885 रकबा 0.85 हैक्टेयर का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट एकमात्र खातेदार काश्तकार है जिसमें आवागमन एवं काश्त हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 249 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 832 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 833 रकबा 1.20 हैक्टेयर में से आवागमन हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के माध्यम से रास्ते का अनुतोष चाहा गया जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थी द्वारा वर्णित कथनों का इंकार कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 885 में पहुंच हेतु अन्य रास्ता खसरा नंबर 885 में रास्ता बतरफ उत्तर खसरा नंबर 883, 884 में से होता हुआ खसरा नंबर 895 में से रास्ता आराजी खसरा नंबर 885 में आने के तथ्य अपने जवाब/आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित किये है। साथ ही अपील में आराजी खसरा नंबर 885 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 834 में से ग्रेवल रोड में से रास्ता होना एवं खसरा नंबर 887, 888, 889 एवं 890 के मध्य भी रास्ता कायम होने के तथ्य वर्णित किये है किन्तु उक्त तथ्यों की सत्यता एवं प्रमाणिकता बाबत कोई दस्तावेजात नक्शा शीट, जमाबंदी इत्यादि अधिनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है जिससे कि यह साबित हो कि प्रार्थी के पास अप्रार्थीगण द्वारा बताये गये खसरा नंबरान में से कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में या मौके पर प्रार्थी के आराजीयात में आवागमन व काश्त हेतु उपलब्ध हो। इसके विपरीत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच मौका रिपोर्ट दिनांक 10.05.2018 एवं ग्राम की नक्शा शीट इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी खसरा नंबर 885 में आवागमन एवं काश्त हेतु प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य तहसीलदार द्वारा निर्मित जांच मौका रिपोर्ट एवं नक्शा शीट का सही परीक्षण करते हुये प्रार्थी को अप्रार्थीगण की भूमि में से आवागमन एवं काश्त हेतु रास्ता प्रदान किये जाने के उचित आदेश पारित किया है जिसमें मेरे द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर